अंतरिम संसद के समक्ष अभिभाषण – 6 अगस्त 1951

सत्र	-	चौथा सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
अंतरिम संसद के अध्यक्ष	-	श्री जी.वी. मावलंकर

माननीय सदस्यगण,

इस संसद के कार्यकाल के अंतिम चरणों में यहां आज हमारी बैठक हो रही है। कुछ ही महीनों में इस महान देश के सभी भागों में आम चुनाव होंगे जिसमें 17 करोड़ मतदाता भाग लेंगे। ये लोकतांत्रिक चुनाव विश्व में पहले हुए किसी भी चुनाव से बड़े हैं; इससे चुनाव आयोजकों पर भारी दबाव आ पड़ा है और हम सभी लोगों पर भारी जिम्मेदारी आयी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस उत्तरदायित्व का निर्वहन भलीभांति हो और चुनाव हमारे लोगों के बीच अनुशासित सहयोग की भावना से हो तथा उच्च सिद्धान्त दूरदर्शी और प्रयोजन के प्रति निष्ठावान महिलाएं और पुरुष निर्वाचित हों। विश्व और हमारे देश की समस्याएं उलझी हुई तथा जटिल हैं और इनके समाधान के लिए हमें बुद्धिमता और साहस से काम लेना होगा। आज विश्व में युद्ध और शांति का सन्तुलन अनिश्चित है और शांतिपूर्ण रचनात्मक प्रयास करने वाली शक्तियों को विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना है। मेरा पक्का विश्वास है कि केवल सिद्धान्तों का अनुसरण करेंगे और सिद्धान्तों की कीमत पर अस्थायी लाभ की इच्छा त्यागकर हम अपने देश की सेवा और अपने हृदय में संजोये महान उद्देश्यों को पूरा करेंगे।

भाग्यहीन देश कोरिया, जहां गत वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं और विनाश हुआ है, आज इस बात का उदाहरण है कि यदि भय, दुराग्रह और आवेश के कारण बड़े राष्ट्रों में युद्ध होता है, तो कुल मिलाकर विश्व में क्या घटित होगा। कुछ समय से युद्ध विराम की शर्तों पर विचार करने के लिए कोरिया में एक सम्मेलन किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन में किये गए प्रयास सफल होंगे और यह भयावह युद्ध समाप्त होगा। इस प्रथम सफलता के उपरान्त सुदूरपूर्व देशों की समस्याओं के समाधान के लिए अन्य कदम उठाये जायेंगे। यह समाधान तभी हो सकता है यदि इसके कार्य क्षेत्र में उन सभी देशों को सम्मिलित किया जाये, जिनके

सुदूरपूर्व में महत्वपूर्ण हित हों और जिन्होंने आज के विश्व में अपना समुचित स्थान बनाया हो। जापान के साथ शांति संधि करने के लिए प्रस्ताव किये गए हैं। हम शांति स्थापित करने और जापान और उसके लोगों, जिन्हें भारत अपना मित्र मानता है, के द्वारा अपना विकास करने के अवसर देने संबंधी सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस शांति संधि से तनाव से मुक्ति मिलेगी और पूर्व के राष्ट्रों के बीच निरन्तर सहयोग के लिए दरवाजे खुल जायेंगे।

एशिया के देशों का उदय इस युग की महत्वपूर्ण बात है। जब इस काल का इतिहास लिखा जायेगा, निःसन्देह एशिया की इस जागृति को गौरवमय स्थान दिया जायेगा। यह जागृति कष्टों में रही है और रहेगी। यह बदलती रही है और यह विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रूपों में रही है। किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि एशिया महाद्वीप में भारी परिवर्तन हो रहे हैं; कई मामलों में पुरानी व्यवस्था पूर्णतः बदल गयी है; अन्य मामलों में लोकतांत्रिक प्रगति का मध्यम चरण पाया गया है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ हमारे सदैव घनिष्ठ संबंध रहे हैं, ने लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की ओर कदम बढ़ाये हैं। उसे इस संक्रमण काल में कुछ कठिनाइयां पेश आ रही हैं, किन्तु मुझे पक्का विश्वास है कि इनसे छुटकारा मिल जाएगा और स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक नेपाल तेजी से प्रगति करेगा।

पश्चिम एशिया में राजनैतिक और आर्थिक प्रगति के लिए यही भावना और प्रवृत्ति उभरी है। इससे कभी-कभी कष्ट और तनाव तथा कठिन समस्याएं पैदा हुई हैं। हाल ही के महीनों में इस क्षेत्र में कई दुखद घटनाएं हुई हैं; कुछ दिन पूर्व ही महामहिम जॉर्डन के सम्राट की हत्या हुई है।

ईरान में, तेल विवाद के पीछे, भारी जागरूकता है। मैं आशा करता हूं कि इन विवादों का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हो ताकि ईरान फले-फूले और इसके बड़े तेल संसाधनों से विश्व भी लाभान्वित हो।

मेरे शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हाल ही में तुर्की और ईरान की सद्भावना यात्राएं की हैं और उन्हें हमारा मित्रता का संदेश पहुंचाया है। मैं इन सरकारों और इन देशों के लोगों को उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तुर्की में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के लोगों की ओर से उस देश के साथ एक सांस्कृतिक समझौता किया जिससे दोनों के बीच बेहतर समझदारी और सहयोग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। भारत ने भी ईरान, इंडोनेशिया और बर्मा के साथ भी शांति और मित्रता की संधियां की हैं। इन संधियों से इन देशों के साथ भारत के प्राचीन संबंधों और दीर्घकालिक मित्रता को मजबूती मिलेगी।

मुझे खेद है कि दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के संबंध में पारित प्रस्ताव अस्वीकृत किया है। इस प्रश्न का केवल भारत पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है। यह महत्वपूर्ण है तथा इससे विश्व का भविष्य प्रभावित होगा क्योंकि इसके सही समाधान पर ही महान दो जातियों के बीच शांति अथवा संघर्ष की बात निर्भर करती है। विभिन्न जातियों तथा लोगों में समानता और समान व्यवहार के आधार पर ही इस विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तथापि, दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार ने दुर्भाग्यवश जातिवादी नीतियां जारी रखी हैं जो विश्व में केवल असन्तोष और संघर्ष को ही जन्म देंगी।

जबकि पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण हैं परन्तु मुझे बहुत खेद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वैमनस्य जारी है तथा कई अहम प्रश्न अनसुलझे रह गये हैं। हमारी यह हार्दिक इच्छा रही है कि पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण ढंग से इन प्रश्नों का समाधान किया जाये तथा सहयोगपूर्ण संबंधों की स्थापना की जाये। हमारा विगत इतिहास और संस्कृति, हमारे समान हित और घनिष्ठ संबंध इस बात की सीख देते हैं कि हमें आपस में शांति के साथ रहना चाहिए, किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया है। परिस्थितियां हमारे वश में न होने के कारण इन संबंधों पर प्रभाव पड़ा है और पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध युद्ध की आवाज उठायी जा रही है। हमारी सुरक्षा के प्रति सम्भावित खतरों को देखते हुए अपनी रक्षा व्यवस्थाओं में संशोधन करने के लिए मेरी सरकार पर दबाव डाला गया था। किन्तु मेरी सरकार द्वारा उठाये गये ऐसे सभी कदमों का अभिप्राय शांति सुनिश्चित करना तथा युद्ध से बचना था। हम पर जब तक युद्ध न थोपा जाये, हम युद्ध से बचने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं। मेरा विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनाव समाप्त हो जायेगा और समस्याओं पर विचार करने के लिए अनुकूल वातावरण बन जायेगा।

अठारह माह पूर्व पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल और असम में उस समय गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई जब भारी पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ। हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच हुए समझौते से इस खतरनाक प्रवाह पर रोक लगी और स्थिति में सुधार हुआ। मैं यह देखकर चिन्तित हूं कि स्थिति बिगड़ती जा रही है और पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में लोगों का भारी संख्या में आना जारी है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे लाखों लोग सम्मिलित हैं और मुझे विश्वास है कि इस विस्थापन को रोकने के लिए गंभीर और प्रभावी कदम उठाए जायेंगे।

पुनर्वास संबंधी महत्वपूर्ण कार्य में यथेष्ट प्रगति हुई है और बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। किन्तु अभी भी बहुत से लोग हैं जो इन प्रावधानों से वंचित हैं। जहां तक पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित लोगों का प्रश्न है, हमें संतोष है कि समस्या पर नियंत्रण पा लिया गया है और निकट भविष्य

में इससे ठीक ढंग से निपट लिया जाएगा; किन्तु बंगाल में नए घटनाक्रमों के कारण नई-नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिनके फलस्वरूप भारी संख्या में विस्थापित लोग भारत में आ गए हैं और सहायता मांग रहे हैं।

पंजाब के राज्यपाल ने इस वर्ष 17 जून को मुझे एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया है कि उनके मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि मंत्रिपरिषद का गठन करना और संविधान के उपबंधों के अनुरूप राज्य में सरकार चलाना संभव नहीं है। तदनुसार मैंने 20 जून, 1951 को अनुच्छेद एक उद्घोषणा जारी की थी कि पंजाब सरकार के समस्त कार्य एवं राज्यपाल की सारी शक्तियों का संचालन अपने हाथ में लेता हूं और राज्य विधान मंडल की सारी शक्तियों का संचालन संसद द्वारा इसके प्राधिकार के अंतर्गत किया जाएगा। मैंने एक आदेश जारी किया था जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि राज्य का शासन राज्यपाल द्वारा मेरी देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन चलाया जाएगा। इस उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ इस सभा के समक्ष एक संकल्प रखा जाएगा। पंजाब के लिए विधान मंडल के रूप में संसद के प्राधिकार के समुचित और आवश्यक प्रत्यायोजन के लिए एक विधेयक भी पुरःस्थापित किया जाएगा।

मुझे अत्यधिक खेद है कि यह उद्घोषणा करना आवश्यक हो गया था और मुझे आशा है कि पंजाब में सामान्य सांविधानिक व्यवस्था शीघ्र ही लागू हो जाएगी।

मेरी सरकार द्वारा गत वर्ष गठित योजना आयोग ने हाल ही में अपने कार्य का प्रथम चरण पूरा किया है और प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है, इसे आपके विचारार्थ रखा जाएगा। यह योजना विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों के सुविचारित मूल्यांकन पर आधारित है एवं इसे केन्द्रीय और राज्य सरकारों के तथा उद्योगों और श्रमिकों और विभिन्न क्षेत्रों के कार्यरत अग्रणी संगठनों के परामर्श से तैयार किया गया है। इस समय ये सिफारिशें अंतरिम हैं और आयोग को आशा है कि इन्हें अंतिम रूप इस योजना के संबंध में संसद के विचार जानने एवं केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों से सुझाव प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

हमारे समक्ष अनेकानेक समस्याओं में कोई भी समस्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारी आर्थिक प्रगति के लिए योजना निर्माण महत्वपूर्ण है ताकि हमारे लाखों लोग, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं, बेहतर जीवन-यापन कर सकें। इस योजना में निश्चित रूप से कृषि उत्पादन जो हमारे जीवन का आधार है, को प्राथमिकता दी गई है। इसके पश्चात् बहु-उद्देश्यीय नदी घाटी विकास योजनाओं और कुछ आधारभूत उद्योगों को महत्व दिया गया है। जो एक राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। यही परियोजनाएं हमें भविष्य के प्रति आशान्वित करती हैं। इस योजना में उत्पादन में वृद्धि करने, रोजगार प्रदान करने और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से कुटीर और लघु उद्योगों के महत्व पर बल दिया गया है, मुझे विश्वास

है कि जब इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा तब यह योजना अपने विभिन्न रूपों में राष्ट्रीय गतिविधियों का आधार बन जाएगी तथा लोगों में आपसी मेलजोल एवं सहयोग को बढ़ावा देगी। इसके शीघ्र और कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। तब तक मुझे आशा है कि पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिए गए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए हमारी चालू विकास योजनाएं अग्रसर होती रहेंगी। समय-समय पर इस योजना के कार्यकरण की समीक्षा करने और सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने हेतु मेरी सरकार जल्द ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करेगी जिसमें भारत के प्रधान मंत्री और राज्यों के मुख्य मंत्री शामिल होंगे।

देश में खाद्यान्न की स्थिति हमारी सरकार के लिए एक गंभीर चिन्ता का विषय रहा है और कई माह से देश के बड़े भू-भागों में, विशेषत: बिहार में, अकाल का खतरा मंडराता रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इस स्थिति में आशातीत सुधार हुआ है तथा अकाल का खतरा फिलहाल टल गया है किन्तु खतरे अभी निरन्तर बने हुए हैं और उन पर काबू पाने के लिए सहकारी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं उन मित्र राष्ट्रों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने जहाजों से खाद्यान्न भेजकर हमारी सहायता की है। विशेषत: मैं संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति दो मिलियन टन खाद्यान्न देने के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं।

यद्यपि हमारी मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास काफी खाद्यान्न पहुंच गए हैं फिर भी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न आपदाओं और देश के कुछ भागों में काफी समय से निरन्तर पड़ रहे सूखे के कारण उन क्षेत्रों में कुछ वर्गों के लोगों की क्रय शक्ति में पर्याप्त कमी आई है और यहां तक कि खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद भी बहुत से लोगों में खरीदने की क्षमता नहीं है। अत: लोक निर्माण कार्यों द्वारा इस क्रय शक्ति को बढ़ाना और साथ ही अति जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्नों का मुफ्त वितरण करना आवश्यक हो गया है।

हमारे लोगों को कपड़े और सूत की कमी के कारण भारी कष्ट झेलने पड़े हैं। गत वर्ष अपेक्षाकृत कम उत्पादन हुआ था और हमारे आयात संतुलन हेतु निर्यात को उच्च स्तर पर बरकरार रखने की आवश्यकता भी थी। इस वर्ष कपास की बेहतर फसल हुई है और बाहर से भी कपास मंगाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। निर्यात के संबंध में कपड़ा मिलों पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं जिसे दृढ़तापूर्वक सीमित किया गया है और धोती एवं साड़ी के उत्पादन पर बल दिया गया है जिनकी विशेषरूप से कमी है। वस्त्र और सूत के मामले में स्पष्ट तौर पर स्थिति बेहतर हुई है और आशा है कि आगामी कुछ महीनों तक स्थिति बेहतर रहेगी।

हमारे लिए भारत में हथकरघा उद्योग को हर संभव सहायता देना आवश्यक है क्योंकि यह काफी बड़ा क्षेत्र है और बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिलता है। यह मुख्य रूप से सूत की आपूर्ति पर निर्भर करता है और इसकी आपूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

हाल के महीनों में हुई मूल्य वृद्धि, जो थोक मूल्य सूचकांक से पता चलती है, हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय रही है। इस वृद्धि के लिए पटसन को नियंत्रण से मुक्त करना कुछ हद तक जिम्मेवार है परन्तु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों जिसमें कोरिया युद्ध के बाद परिवर्तन आया है और जिन पर हमारा वश नहीं है, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। इस पूरे कठिन दौर में मेरी सरकार का प्रयास मूल्य वृद्धि को यथासंभव नियंत्रित करने का रहा है। अधिकांश लोगों के जीवन-यापन में मुख्य रूप से खाद्य पर व्यय होता है खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता था क्योंकि देश में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हुआ है और अधिक मूल्य पर इसका आयात करना पड़ा है। ढुलाई दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण इन खाद्यान्नों की देश में आने पर लागत और बढ़ गई। कम से कम मूल्य वृद्धि हो, इसके प्रयास में मेरी सरकार ने राज्यों को खाद्य पदार्थों के लिए दी जाने वाली राजसहायता में दो गुना से अधिक वृद्धि करते हुए उसे 22.3 करोड़ रुपये से 46.73 करोड़ रुपये कर दिया और राजसहायता देने के आधारों में सुधार किया गया जिससे औद्योगिक शहरों को अधिक राहत मिल सके तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य को कम किया जा सके। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य, जो कि आम व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए यथासंभव स्थिर रखने की हमारी सरकार की नीति जारी रखी जायेगी।

देश की आर्थिक स्थिति में संतोष की बात यह है कि हाल के महीनों में औद्योगिक उत्पादन के स्तर को बरकरार रखा गया है। खाद्यान्नों के उत्पादन में विस्तार की योजनाएं अच्छी तरह चल रही हैं जबकि आगामी मौसम में कपास के उत्पादन में भी वृद्धि की संभावना है यदि कोई अनहोनी न घटी तो आर्थिक स्थिति में चंहुमुखी सुधार होने का हमें पूरा विश्वास है।

ऐसी अनहोनी घटनाओं में रेल हड़ताल की धमकी एक ऐसी घटना है जो यदि हुई तो निश्चित ही इस सुधार की गति में रुकावट आयेगी। मेरी सरकार मूल्यों में वृद्धि के कारण रेल कर्मियों, श्रमिकों और जनता को होने वाली कठिनाइयों के प्रति पूरी तरह सजग है। सरकार ने यथासंभव कम आय वाले कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है और उपलब्ध स्रोतों के अंतर्गत और अपने राष्ट्रीय अर्थतंत्र के विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मित्रतापूर्ण परामर्श के लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार रही है। मैं और मेरी सरकार को आशा है कि रेलकर्मी हड़ताल का विचार त्याग देंगे और रेल यातायात को अस्त-व्यस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा क्योंकि इस कठिन और समस्यापूर्ण स्थिति में

खाद्यान्नों के उचित वितरण हेतु रेलवे द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसी कोई भी अव्यवस्था निश्चित रूप से उद्योग और उत्पादन की गति को अवरुद्ध कर देगी और वह स्थिति और भी बदतर हो जाएगी जिसमें रेल कर्मी सुधार लाना चाहते हैं। मेरी सरकार ऐसी किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय है।

मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि करने के लिए बार-बार मांग की गई है। वेतन आयोग, जिसका उल्लेख इस संदर्भ में किया जाता है, ने अलग संदर्भ में भिन्न सिफारिश की है और मूल्य में कमी होने की आशा में महंगाई भत्ता में वृद्धि करने के बदले उसमें कमी लाने की सिफारिश की है। दुर्भाग्य से मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई है और चूंकि की गई सिफारिश के आधार पर महंगाई भत्ता में वृद्धि स्पष्ट तौर पर देश के आर्थिक संसाधनों की क्षमता से बाहर है और इससे मुद्रास्फीति की खतरनाक कड़ी शुरू हो जाएगी। मेरी सरकार यह आशा करती है कि इस वर्ष के बजट में कराधान संबंधी उपायों तथा विदेशों से प्राप्त गेहूं की बिक्री मुद्रास्फीतिरोधी प्रकृत्ति को बढ़ावा देगी और मूल्यों में कुछ कमी आयेगी।

श्रम मंत्रालय द्वारा बहुत से चुने गए गांवों में किये जा रहे अखिल भारतीय कृषि मजदूर जांच के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है। जांच के दो चरण गांवों का आम सर्वेक्षण और आम पारिवारिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और तीसरा चरण, गहन पारिवारिक सर्वेक्षण का कार्य अभी प्रगति पर है।

मेरी सरकार की सांख्यिकी के अध्ययन को शुरू करने तथा उसे विकसित करने एवं प्रशासन और उद्योग में सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करने में गहरी रुचि है। किसी भी योजना प्रणाली के लिए सांख्यिकीय आंकड़े अत्यावश्यक हैं। इसके लिए एक केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई है।

1950 में कोयले का अधिकतम उत्पादन 31.99 मिलियन टन तक पहुंच गया था। पाकिस्तान को कोयले की आपूर्ति दिसम्बर, 1949 में रोक दी गई थी जिसे मार्च, 1951 में पुनः शुरू कर दिया गया था और 31 मई, 1951 तक 3,34,081 टन कोयले और कोक की आपूर्ति की गई थी। पाकिस्तान को आयात के बदले जुलाई, 1951 से जून, 1952 की अवधि में 15,20,000 टन कोयले और कोक की आपूर्ति करने का विचार है। 1951 में कोयले के निर्यात की अच्छी संभावना है। 1950 में निर्यात किए गए 2,33,902 टन और 1949 में 2,97,716 टन की तुलना में इस वर्ष के प्रथम चार माह में पाकिस्तान को किए गए निर्यात को छोड़कर कुल निर्यात 3,52,000 टन किया गया। कोयला निर्यात कार्यक्रम नौवहन की कम क्षमता होने के कारण अत्यधिक प्रभावित हुआ है।

विशाल उर्वरक कारखाना, जिसका निर्माण कार्य सिंदरी में चल रहा है, तेजी से पूरा होने की स्थिति में है। कारखाने के एक हिस्से ने कार्य करना शुरू कर दिया है और

आशा है कि अमोनियम सल्फेट का उत्पादन जल्द ही शुरू हो जाएगा। 1952 के मध्य तक 3,50,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन की पूर्ण स्थापित क्षमता प्राप्त कर लेने की आशा है। उर्वरकों के अत्यधिक उत्पादन से खाद्यान्न और अन्य फसलों के उत्पादन में अत्यधिक सहायता मिलेगी और इस प्रकार यह कृषकों की आय में भी वृद्धि लाएगा।

संसद के पिछले सत्र के दौरान संविधान के कुछ अनुच्छेद संशोधित किये गये थे। ये संशोधन मुख्यतः जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में कानून बनाने और संविधान के अनुच्छेद 19(2) से संबंधित थे। मेरी सरकार इस बात को लेकर चिंतित है और चाहती है कि पूरे भारत में इस विशाल जमींदारी प्रथा का उन्मूलन शीघ्रातिशीघ्र हो जाए, क्योंकि भूमि सुधार की दिशा में यह अनिवार्य आरंभिक कदम है। अनुच्छेद 19(2) के संशोधन की आलोचना की गई क्योंकि ऐसा कहा गया कि इस संशोधन से संविधान द्वारा स्वीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। मेरी सरकार की मंशा किसी प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सिवाए उस स्थिति के, सीमित करने की नहीं है जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालती है या साम्प्रदायिक वैमनस्य को प्रोत्साहित करती है। मेरी सरकार ने हमेशा ही साम्प्रदायिक वैमनस्य को अत्यंत महत्व दिया है क्योंकि यह हमारी राज्य-नीति की आधारशिला है। इस सत्र में सरकार द्वारा एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किए जाने की आशा है जो कानून की किताब से उन सभी प्रावधानों को हटा देगी जो अब अप्रासंगिक और अनावश्यक है। संशोधन करने वाले विधेयक के दायरे में न केवल प्रेस को प्रभावित करने वाले कुछ कानून हैं, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124(क) और 153(क) जैसी धाराएं भी हैं जिनका संबंध भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है।

मेरी सरकार द्वारा संसद के चालू सत्र में भाग ग के राज्यों के संबंध में भी एक विधेयक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है। सरकार की नीति उत्तरोत्तर रूप से उन भेदों को दूर करना है जो राज्यों के विभिन्न वर्गों के बीच संवैधानिक विकास के संदर्भ में विद्यमान है। भाग के राज्यों के बीच एक दूसरे से काफी अंतर है और उनमें से कुछ के समक्ष विशेष समस्याएं हैं। अतः उनके मामलों पर कुछ हद तक अलग से विचार किया जाना है।

संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुरूप मैंने नवम्बर, 1950 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की। आयुक्त ने भारत के उन विभिन्न भागों के व्यापक दौरे किए हैं जहां इन जातियों और जनजातियों के लोग भारी संख्या में रहते हैं और मुझे बहुमूल्य रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों और साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण मेरी सरकार और राज्य सरकारों के लिए भी विशेष चिंता का विषय है।

आपके अनुमोदन के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक अनुपूरक विवरण रखा जाएगा।

संसद के गत सत्र के बाद कुछ अध्यादेशों का जारी किया जाना आवश्यक हो गया था। ये अध्यादेश इस सत्र में विधेयक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और आपसे उन पर विचार कर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया जाएगा।

संसद के समक्ष बहुत सारे विधेयक लम्बित पड़े हुए हैं जिनमें कुछ को प्रवर समितियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। संसद के इस सत्र में इन सभी विधेयकों पर विचार कर पाना सम्भव नहीं होगा पर उनमें से कई महत्वपूर्ण हैं और उन्हें इसी सत्र में पारित किया जाना चाहिए। मैं एक संशोधित प्रेस कानून और भाग "ग" राज्यों से संबंधित विधेयक का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। संसद में कुछ वर्षों तक एक विधेयक लम्बित पड़ा है और वह है हिन्दू कोड बिल। मेरी सरकार को आशा है कि यह विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण विधेयक हैं उद्योग (विकास और नियंत्रण) विधेयक, टैरिफ आयोग विधेयक, राज्य वित्तीय निगम विधेयक, 1950 और विस्थापित लोगों के संबंध में कुछ अन्य विधेयक।

अब मैं आपको अपना काम करने का अवसर प्रदान करता हूं जो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा अनुरोध है कि ये कार्य मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना से किए जाएं जो राष्ट्र के व्यापक हितों और राष्ट्रपिता द्वारा हमारे समक्ष रखे गए उच्च सिद्धान्तों को सदा ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करते रहने के लिए आवश्यक है। यह प्रार्थना है कि आपके विचार-विमर्श विवेक और उदारता की भावना से परिपूरित हों।